UPKU100000171992

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर।

फौजदारी वाद संख्या–534/2006

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम–उपेन्द्र कुमार पाण्डेय।

मुकदमा अपराध संख्या–163/1991

धारा–379, 411 भा०दं०सं०,

थाना–सेवरही, जनपद–कुशीनगर।

दिनांक–29.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त उपेन्द्र कुमार पाण्डेय अनुपस्थित। अभियुक्त को पिछली तिथि पर फरार घोषित करते हुए अभियोजन पक्ष/मुकदमा वादी को धारा–299 दं०प्र०सं० के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था परन्तु अभियोजन पक्ष ने कोई भी साक्ष्य इस स्तर पर प्रस्तुत नही किया। अतः अभियोजन पक्ष का धारा–299 दं०प्र०सं० के तहत साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है। अभियुक्त उपेन्द्र कुमार पाण्डेय को समस्त प्रकार से प्रोसेस जारी करने के बावजूद उनके हाजिर न आने के कारण अभियुक्त को पिछली तिथि पर फरार घोषित किया जा चुका है। प्रकरण वर्ष 1991 की प्राचीनतम वाद की श्रेणी का है। तद्नुसार प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त उपेन्द्र कुमार पाण्डेय के स्थायी अधिपत्र जारी हो। उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध स्थायी वारण्ट निर्गत करते हुए थाना–**सेवरही** को इस निर्देश के साथ भेजा जाये कि वह जारी स्थायी वारण्ट पर थाने के रजिस्टर क्रमांक से न्यायालय को अवगत कराये एवं फौजदारी लिपिक इस क्रमांक को पत्रावली पर लाल स्याही से अंकित करें। यदि उक्त अभियुक्त भविष्य में गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाये जाते है या हाजिर होते है तो प्रस्तुत वाद की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की जायेगी। तब तक पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल दफ्तर हो तथा प्रस्तुत पत्रावली किसी भी दशा में विनष्ट न की जाये।

दिनांक–29.06.2026

(शिरिष पटेल)
(उ०प्र० न्यायिक सेवा)–UP03572
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
कसया, जनपद–कुशीनगर।

Digitally signed by SHIRISH PATEL
Date: 2026.06.29 16:38:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court